

छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1998

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, भोपाल

क्र. एफ. 1(एक) 42-98-अ-ग्यारह-छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1998 है।

(2) परिभाषाएँ - इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अनरुथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973),

(ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप,

(ग) 'व्यतिक्रमी सोसायटी' से अभिप्रेत है ऐसी सोसायटी जो नियमों तथा विनियमों या अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन तथा पालन करने में बार-बार व्यतिक्रम कर रही हो या जिसे अधिनियम की धारा 34 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा निद्गिक्रय माना गया हो,

(घ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची,

(ङ) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा,

(च) "सोसायटी" से अभिप्रेत है ऐसी सोसायटी जिसे अधिनियम लागू होता है।

3. सोसायटी का ज्ञापन - किसी सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण हेतु धारा 5 के अधीन फाइल किया जाने वाले सोसायटी का प्रत्येक ज्ञापन प्ररूप एक में या ऐसे प्ररूप में होगा जैसा कि परिस्थितियों के अनुरूप ग्राह्य हो।

4. फीस - अधिनियम के उपबंधों के अधीन देय फीस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी और सरकारी खजाने में जमा की जाएगी और खजाना चालान की एक प्रति

रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी। ऐसी फीस रजिस्ट्रार के कार्यालय में भी उसकी रसीद अभिप्राप्त करके जमा की जा सकेगी।

5. शाषित - (1) यदि कोई सोसायटी, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के उपबंधों का अतिक्रमण करती है तो वह सोसायटी नियम 4 के अधीन देय फीस की दुगुनी रकम जमा करने के दायित्वाधीन होगी और यदि सोसायटी धारा 21 की उपधारा (2) के उपबंधों का अतिक्रमण करती है तो यह सोसायटी, सम्पत्ति की लागत की 20 प्रतिशत रकम जमा करने के दायित्वाधीन होगी।

(2) किसी सोसायटी द्वारा 27 तथा 28 के अधीन देय विलम्ब फीस, नियम 4 के अधीन देय फीस की रकम की दुगुनी होगी।

6. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र - रजिस्ट्रार द्वारा धारा 7 के अधीन जारी किया जाने वाला रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रारूप दो में होगा।

7. रजिस्टर का रखा जाना - रजिस्ट्रार द्वारा एक रजिस्टर प्रारूप तीन में रखा जाएगा, जिसमें अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटियों के नाम होंगे।

8. आदेश तामिल करने की रीति - धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन किसी सोसायटी पर किसी आदेश की तामीली, उस सोसायटी के ज्ञापन में उल्लिखित सोसायटी के पते पर या ऐसे अन्य पते पर, जो सोसायटी द्वारा दिया गया हो, डाक प्रमाण पत्र द्वारा की जाएगी।

9. सोसायटी के ज्ञापन, नियमों तथा विनियमों में संशोधन और नाम में परिवर्तन - जब कभी धारा 10 तथा 13 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी द्वारा ज्ञापन, नियमों तथा विनियमों में संशोधन या उसके नाम में परिवर्तन करना प्रस्तावित हो, वहाँ उसे रजिस्ट्रार को प्रारूप-चार में अग्रषित किया जाएगा और किसी सोसायटी के नाम में परिवर्तन की दशा में सोसायटी अपना रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार को प्रारूप-चार के साथ लौटाएगी और ऐसा प्रमाण पत्र होने पर रजिस्ट्रार प्रारूप - पाँच में एक प्रमाण-पत्र, उसमें आवश्यक परिवर्तन सन्निविद्गट करते हुए जारी करेगा।

10. स्थावर सम्पत्ति अर्जित करने या उसके अन्तरण की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने हेतु आवेदन प्रारूप -छः में प्रस्तुत किया जाएगा।

11. वार्षिकी विवरणी - धारा 27 के अधीन वार्षिक विवरणी प्रारूप - सात में प्रस्तुत की जाएगी।

12. निरसन तथा व्यावृत्ति - मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1975 एतद् द्वारा निरस्त किए जाते हैं,

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश पर की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची

(नियम 4 में देखिये)

स्व-सहायता समूह फीस

	(1)	(2)
1.	धारा 7 के अधीन सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण	रूपये 1500.00
2.	धारा 7 के अधीन महिला स्व-सहायता समूह का रजिस्ट्रीकरण	रूपये 250.00 रूपये 300.00
3.	धारा 7 के अधीन महिला मण्डल का रजिस्ट्रीकरण	रूपये 150.00
4.	धारा 7 के अधीन युवा मण्डल का रजिस्ट्रीकरण	रूपये 200.00
5.	धारा 10 के अधीन प्रत्येक संशोधन	
6.	धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन	
	(क) उपधारा (1) क अधीन आवेदन	क्रय का 2% और विक्रय का 5%
	(एक) क्रय तथा विक्रय के लिये अनुज्ञा हेतु	रूपये 5000.00
	(दो) प्रत्येक दान के लिये	रेखांक (प्लान)की लागत का 10%
	(ख) उपधारा (2) के अधीन स्थावर सम्पत्ति के	या रु 10000/- इसमें से जो भी

7.	अन्यथा उपयोग हेतु	अधिक हो रूपये 200.00
8.	धारा 27 के अधीन विवरण प्रति वर्दगा	रूपये 200.00
9.	धारा 28 के अधीन संपरीक्षित विवरण प्रतिवर्दगा धारा 29 के अधीन प्रतियां	रूपये 20.00 प्रति पृष्ठ सामान्य रूपये 40.00 प्रति पृष्ठ अत्याव्याश्यक रूपये 100.00 निरीक्षण प्रति रजिस्टर रूपये 100.00 निरीक्षण विवरणी/मूल फाइल

प्ररूप

प्ररूप-एक

(नियम 3 देखिये)

सोसायटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये सोसायटी का ज्ञापन

1. सोसायटी का नाम :-

.....
.....

2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय :- मकाननंबर....., भवन स्वामी का नाम.....

ग्राम.....पोस्ट.....

तहसील.....जिला.....

3. सोसायटी का उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

1.....

.....

2.....

.....

3.....
.....

4.....
.....

5.....
.....

6.....
.....

7.....
.....

4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध, सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, परिषद, संचालकों समिति या शासी-निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है :-

क्रं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता (म.नं./वार्ड नं./ग्राम/पोस्ट/तह./जिला)	उपजीविका
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

5. छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी विनयम की सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाइल की गई है। हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे गए हैं, उपरोक्त

प्रतिष्ठान-ज्ञापन के अनुसरण में सोसायटी बनाने के इच्छुक है और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

क्रं.	अभिदाताओं के नाम	पिता/पति का नाम	पूर्ण पते (म.नं./वार्ड नं./ग्राम/पोस्ट/तह./जिला)	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

साक्षी

तारीख :-

प्रति,

सोसायटी के रजिस्ट्रार,

हस्ताक्षर:-.....

नाम:-.....

पूर्ण पता :.....

प्ररूप - दो
(नियम 6 देखिये)
छत्तीसगढ़ शासन
(मोनो)

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

क्रमांक

यह प्रमाणित किया जाता है सोसायटी, जो
तहसील जिला में स्थित है, छत्तीसगढ़
सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख
..... में रजिस्ट्रीकृत की गई है।

मुद्रा

.....

सोसायटी का रजिस्ट्रार

प्ररूप - तीन
(नियम 7 देखिये)

छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के
अधीन

रजिस्ट्रीकृत सोसायटियों का रजिस्टर

अनुक्रमांक	सोसायटी का नाम तथा पता	प्रतिष्ठान ज्ञापन को फाइल करने की तारीख	रजिस्ट्रीकरण तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)

--	--	--	--

प्रतिष्ठान जापन को फाईल करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता	सोसायटी के नाम में परिवर्तन के लिए संकल्प का क्रमांक तथा तारीख	सोसायटी के विनियमों में संशोधनों के लिए प्रस्ताव का क्रमांक तथा तारीख और संशोधनों के रजिस्ट्रीकरण की तारीख	रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर	टिप्पणी
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

प्ररूप - चार
(नियम 9 देखिये)

छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973
की धारा 10 तथा 13 के अधीन आवेदन

1. सोसायटी का नाम तथा पूरा पता
.....
2. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख
.....
3. वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या
.....
4. सोसायटी के रजिस्ट्रीकृत विनियम के किस
.....
विनियम के अधीन संशोधन प्रस्तावित है
.....

5. संशोधन प्रस्ताव कार्यकारिणी की किस

.....
तारीख के सम्मिलन में पारित हुआ,
सम्मिलन की सूचना कितने सदस्यों को
दी गई तथा गणपूर्ति क्या रही

6. साधारण सम्मिलन की तारीख क्या है तथा

.....
सम्मिलन किस नियम के अधीन बुलाया गया
सूचना कितने दिनों की दी गई, कितने
सदस्य उपस्थित रहे तथा सम्मिलन की
गणपूर्ति क्या थी।

7. संशोधन प्रस्ताव तथा संशोधित नियमों

.....
तथा विनियमों की तीन प्रतियां प्रत्येक
पृष्ठ पर कार्यकारिणी के तीन सदस्यों
द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित पूर्ण
ब्यौरों सहित प्रस्तुत करें, ऐसे नियमों,
जिनके खण्ड में संशोधन प्रस्तावित है,
को दर्शाते हुए विद्यमान उपबन्धों तथा
कारणों सहित संशोधनों का तुलनात्मक
चार्ट भी कृपया प्रस्तुत करें।

8. जापन तथा नियमों और विनियम में संशोधन हेतु विहित फीस रुपये
रसीद क्रमांक दिनांक चालान क्र. दिनांक
..... द्वारा जमा कर दिये गये हैं, चालान की मूल प्रति संलग्न है।

9. मैं पुत्र..... आयु..... निवासी
..... पदनाम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त
समस्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, और मैं यह जानता हूँ कि
उपरोक्त समस्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, और मैं यह जानता
हूँ कि कोई मिथ्या जानकारी देना अधिनियम की धारा 38 (2) के अधीन दण्डनीय होगा।

(अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

प्ररूप - पाँच
(नियम 9 देखिये)
छत्तीसगढ़ शासन

सोसायटी (परिवर्तित नाम) के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

क्रमांक

यह प्रमाणित किया जाता है रजिस्ट्रीकृत सोसायटी ने जो
जो तहसील जिला में स्थित
है, अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और अब के नाम से छत्तीसगढ़
सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 13 की
उपधारा (2) के अधीन तारीख के रजिस्ट्रीकृत की गई है।

मुद्रा

.....

सोसायटी का रजिस्ट्रार

प्ररूप - छः

(नियम 10 देखिये)

छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 21 के अधीन
स्थावर सम्पत्ति अर्जित करने या विक्रय, दान या अन्यथा के लिए अनुज्ञा चाहने
हेतु आवेदन

1. सोसायटी का नाम तथा पूरा पता
.....
2. सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख
.....
3. सोसायटी की स्थावर सम्पत्ति की पूर्ण
विशिष्टियाँ
.....
4. अर्जित/क्रय/दान/अन्तरण/विक्रय की जाने वाली
या अन्यथा स्थावर सम्पत्ति की खसरा क्रमांक, ...
नक्शा, स्वामित्व के प्रमाण पत्र आदि के साथ
पूर्ण विशिष्टियाँ
5. स्थावर सम्पत्ति के विक्रय/क्रय या अन्यथा
अन्तरण या सोसायटी के उद्देश्यों से भिन्न
सम्पत्ति के उपयोग का कारण
6. सम्पत्ति के क्रेता या विक्रेता का पूरा नाम तथा
पता
7. स्थानीय सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा स्थावर
सम्पत्ति के मूल्य की युक्तियुक्तता का प्रमाण
पत्र
8. स्थावर सम्पत्ति का क्रय/विक्रय या अन्तरण
करने के लिये सोसायटी के नियमों तथा
विनियमों के अनुसार कार्यवृत्त (संकल्प) की

प्रतियां

9. यदि विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जनजाति का हो, ...
तो इस संबंध में कलेक्टर का आदेश संलग्न करें
- 10 अन्य कोई जानकारी, यदि कोई हो (जैसे कि
निधियों के स्रोत आदि)
- 11 स्थावर सम्पत्ति के क्रय, विक्रय, अंतरण आदि के लिये अनुज्ञा फीस रुपये
..... रसीद/चालान क्रमांक तारीख द्वारा जमा की गई
है। चालान की मूल प्रति संलग्न है।

मुद्रा

.....

सोसायटी का रजिस्ट्रार

प्ररूप - सात
(नियम 11 देखिये)

रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसायटी को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1973

की धारा 27 के अधीन शासी निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देशन
पत्र (प्रोफार्मा)

1. सोसायटी का नाम तथा पूरा
पता
2. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा
तारीख
3. उपस्थित कुल सदस्यों की
संख्या, उनके नाम तथा पते
संलग्न करें।
4. रजिस्ट्रीकृत नियमों तथा
विनियमों के अनुसार शासी-
निकाय की अवधि
5. वर्तमान निर्वाचन की तारीख
और उपस्थित सदस्यों की
संख्या एवं गणपूर्ति क्या थी।
6. विद्यमान पदाधिकारियों से
पूर्व पदाधिकारियों से किस
तारीख को कार्यभार ग्रहण
किया एवं सूची उनके नाम,
पते तथा उपजीविकायें उनके
हस्ताक्षर सहित संलग्न करें।

7. पूर्व निर्वाचन की तारीख
8. सोसायटी के नियमों तथा
विनियम के अनुसार वार्षिक
साधारण सम्मेलन का मास
तथा दिनांक
9. अंतिम वा वार्षिक सूची कब
प्रस्तुत की गई थी, यदि
प्रस्तुत नहीं की गई हो उसका
क्या कारण था।
10. इस वर्ष के वार्षिक साधारण
सम्मेलन के कार्यवृत्त तारीख
सहित संलग्न करें
11. छत्तीसगढ़ सोसायटी
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1978 की धारा 27 के अधीन
सूची की वार्षिक फीस रुपये
..... रसीद/चालान
क्र. द्वारा जमा कर
दी गई है। चालान की मूलप्रति
संलग्न है।

मैं पुत्र - आयु
..... वर्ष प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि, उपरोक्त
जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं यह जानता हूँ कि कोई
मिथ्या जानकारी देना अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन दण्डनीय है।

अध्यक्ष के हस्ताक्षर

या

सचिव के हस्ताक्षर

परिशिष्ट "अ"
आदर्श नियमावली
समिति नियमों का प्ररूप

1. संस्था का नाम :-.....

2. संस्था कार्यालय का पता :-मकाननंबर.....,भवनस्वामीका

नाम.....

ग्राम.....पोस्ट.....

:-

तहसील.....जिला.....

3. संस्था का कार्यक्षेत्र :-

.....

4. संस्था का उद्देश्य:- (जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वहीं लिखें)

1.....

.....

2.....

.....

3.....

.....

4.....

.....

5.....

.....

6.....

.....

7.....

.....

5. सदस्यता :- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :-

(अ) संरक्षण सदस्य :- संस्था को जिस व्यक्ति द्वारा अभिदान के रूप में रुपये...../- एक मुश्त जमा जिया जावेगा, वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) आजीवन सदस्य :- जिस व्यक्ति द्वारा संस्था को अभिदान के रूप में रुपये/- जमा किया जावेगा, वह आजीवन सदस्य बनाया जा सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य अंतर की राशि रुपये...../- देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्य :- जिस व्यक्ति द्वारा रुपये/- माह रुपये/- प्रतिवर्ष को अभिदान के रूप में जमा किया जावेगा, वह साधारण सदस्य बनाया जा सकेगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने अभिदान दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक अभिदान नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा अभिदान की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

(द) सम्मानीय सदस्य :- संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

6. सदस्यता की प्राप्ति :- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा। प्रबंधकारिणी समिति को आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा ।

7. सदस्यों की योग्यता :- संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

1. भारतीय नागरिक हो ।
2. आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
3. समिति के उद्देश्यों एवं नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।
4. सद्चरित्र हो तथा मधपान न करता हो ।

8. सदस्यता की समाप्ति :- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-

1. मृत्यु हो जाने पर ।
2. पागल हो जाने पर।
3. नियम 5 के अनुसार सोसाइटी को देय सदस्यता की रकम जमा करने में असफल रहने पर।
4. त्याग पत्र देने पर यदि स्वीकृत हो जाता है तो और
5. नैतिक अधमता से संबंधित किसी अन्य कारण के सिद्ध हो जाने पर और प्रबंधकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाकर निष्काषित करने पर तथा ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।

9. सदस्यता पंजी :- संस्था कार्यालय में सदस्यों की पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे :-

1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय ।
2. वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया हो व अभिदान जमा करने का रसीद नंबर ।
3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त की गई हो ।

4. सदस्यों के हस्ताक्षर ।

10. (अ) साधारण सभा :- साधारण सभा में नियम में 5 (अ) (ब) (स) दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह.....तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :- प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा। यदि बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नहीं होगी ।

(स) विशेष :- समिति के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा किसी भी विषय पर विचार करने के लिए संस्था के विशेष बैठक बुलाने हेतु अध्यक्ष/सचिव को सदस्यों द्वारा अनुरोध पत्र दिया जावेगा, ऐसे आवेदन पत्र उल्लेखित विषय पर आमसभा आयोजित किया जाकर संकल्प पारित किया जावेगा। विशेष संकल्प पारित हो जाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-

- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
- (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
- (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।
- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।
- (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
- (छ) बजट का अनुमोदन करना ।

12. प्रबन्धकारिणी का गठन :- नियम 5 (अ, ब, स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा :-

1. अध्यक्ष, 2. उपाध्यक्ष, 3. सचिव, 4. कोषाध्यक्ष, 5. संयुक्त सचिव एवं सदस्य -

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल :- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। यथेष्ट कारण होने पर, उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार से नहीं हो जाता वर्तमान प्रबंध समिति कार्य करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

14. प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए ।

(च) संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम रहेगी ।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना क्रय/विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जाएगी ।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. अध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव को साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन हेतु निर्देश जारी करेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

17. सचिव (मंत्री) के अधिकार :-

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना ।

2. समिति की आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।

4. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये/- व्यय करने का अधिकार होगा ।

18. संयुक्त सचिव के अधिकार :- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

19. कोषाध्यक्ष का अधिकार :- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

20. बैंक खाता :- प्रत्येक समिति द्वारा पंजीकृत संस्था के नाम से ही खाता संधारित किया जावेगा।

संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये/- रहेंगे ।

21. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :- अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में शुल्क सहित कार्यकारिणी समिति की मूल हस्ताक्षरित सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था का आडिटेड लेखा नियत शुल्क के साथ पंजीयक को प्रस्तुत किया जावेगा।

22. संशोधन :- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक के कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय-नियत प्रारूप में शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी।

23. विघटन :- संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

24. सम्पत्ति :- संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी।

25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :- संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार के आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

26. विवाद :- संस्था में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों पर संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

**शासकीय परिपत्र
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग**

क्रमांक 11559/7378/11/अ,

भोपाल, दिनांक 17-10-78

विषय:- रायकवार समाज भोपाल के पंजीयन बाबत।

संदर्भ :- आपका अर्धशासकीय पत्र क्रमांक एस/3764/अ/78, दिनांक 23-8-78।

उपरोक्त विषय के आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि रायकवार समाज भोपाल को पंजीयन करने संबंधी यदि प्रथम प्राप्त आवेदन पत्र नियमानुकूल है, तो धारा 7 के अंतर्गत संस्था का पंजीयन करना चाहिए। यदि उसी समाज के कुछ अन्य अथवा 7 से अधिक व्यक्ति बाद में अन्य आवेदन द्वारा चाहते हैं कि उनकी संस्था उसी नाम से पंजीकृत की जाये और यदि आपके मत में नाम मेमोरेण्डम में रहने से अधिनियम की धारा 6(2) बी(III) की अपेक्षानुसार जन साधारण के मन में भ्रम उत्पन्न होने की संभावना हो तो दूसरे आवेदन को अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार समाज के दो या अधिक भिन्न घटकों के बीच आपसी मतभेदों के संबंध में जिनका पंजीयन अभी हुआ ही न हो, के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को अवगत कराने की व्यवस्था करें।

हस्ताक्षर
(जे.एल. संकत)

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

क्रमांक 2077/5266/11स

भोपाल, दिनांक 28-02-80

विषय : मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 27 के संबंध में।

संदर्भ : आपका ज्ञापन क्रमांक ए/656/79, दिनांक 2-10-79

उपरोक्तविषयमें विधि एवं विधायी कार्य विभाग के परामर्श अनुसार मार्गदर्शन इस प्रकार है - धारा 27 के उल्लंघन के लिये शास्ति का प्रावधान धारा 38 में किया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसी सूची स्वीकार की जाये ताकि निरंतर अपराध का अंत हो। निरंतर अपराध की कल्पना समाप्ति से जुड़ी है। इसलिए विलंब से प्राप्त होने वाली सूची स्वीकार करनी पड़ेगी। धारा 27 के उल्लंघन के कारण यह अपराध घटित हुआ है। अतः वह उस क्षण ही समाप्त होगा जब धारा 27 का पालन किया जावेगा और इस प्रकार धारा 27 के प्रावधानों के अनुपालन में प्रस्तुत सूची स्वीकार करनी होगी। इस प्रकार स्वीकार करना उसे विलंब के लिये दंडित करने में बाधक नहीं बनेगी।

यदि धारा 27 का पालन नहीं किया जाता है तो उचित यही होगा कि 14 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर तत्काल उसके विरुद्ध अभियोग चलाकर दंडित किया जाये। फिर निरंतर अपराध के भयावह दंड की आशंका से संभवतः धारा 27 द्वारा अग्रेषित सूची अविलंब प्रस्तुत करेगा।

हस्ताक्षर

अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

**कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, मध्यप्रदेश
पुराना सचिवालय, भोपाल**

क्रमांक /राज्य/शि./21/848/92

भोपाल, दिनांक 1-5-92

विद्गाय : समिति के पंजीयन में सावधानियां।

संदर्भ : मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड का पत्र क्रमांक 130/X/86-87/के/6/4076 दिनांक 18/6/91

उपरोक्त संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन हो जिसकी प्रति संलग्न है। पत्र में वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति एवं वक्फ बोर्ड के अधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया है। अतः किसी भी समिति के पंजीयन के पूर्व यह अवश्य परीक्षण कर लिया जावे कि प्रस्तावित संस्था वक्फ, बोर्ड की सम्पत्ति के प्रबंध में हस्तक्षेप न करती हो। साथ ही ऐसे प्रकरणों में कलेक्टर की राय अवश्य प्राप्त करें।

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार

फर्म्स एवं संस्थाएँ, मध्यप्रदेश

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

विषय:- पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध की गयी अपील की सुनवाई के संबंध में।

शासन स्तर पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध की गयी अपील की सुनवाई एवं उस पर समुचित आदेश पारित करने हेतु माननीय मंत्री जी सक्षम होंगे अथवा नहीं इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2000 की धारा 40(1)(क) निम्नानुसार है -

धारा - 40(1)(क) : यदि आदेशधारा-4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये रजिस्ट्रार द्वारा मूल मामले (केस) में या खण्ड (ब) के अधीन अपील में किया गया है जो राज्य सरकार को उपरोक्त स्थिति में जब संबंधित अपील राज्य सरकार को होती है तो उस प्रशासकीय विभाग का मंत्री छत्तीसगढ़ का कार्यपालक शासन के कार्य नियम (Rule of business of executive government of Chhattisgarh) के भाग पाँच के नियम 5(एक) (क) के अनुसार जब कोई मामला किसी मंत्री को प्राप्त हो तो वह उस पर आदेश दे सकेगा आगे नियम-5 के उप नियम-दो में यह भी प्रावधान रखा गया है कि मंत्री द्वारा समस्त मामले संबंधित सचिव को अंकित किये जाने चाहिए जिसका कर्तव्य यह होगा कि समस्त आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्त स्थितियों में स्पष्ट है कि विभागीय मंत्री अपने प्रशासकीय विभाग की अपील सुनने हेतु स्वयं सक्षम है अथवा चाहे तो अपने प्रशासकीय विभाग के सचिव को संबंधित मामलों की सुनवाई करने हेतु उन्हें अंकित कर सकते हैं।

(एस.के. तिवारी)

संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 4-22/2003/11(6)

दिनांक 23-8-2004

छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2000 की धारा 40(1)(क) के अंतर्गत, पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध राज्य शासन को प्रस्तुत की जाने वाली अपीलों की सुनवाई करने हेतु विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अधिकृत किया जाता है। अपील प्रकरण निर्णय के पूर्व भार साधक मंत्री जी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे।

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी द्वारा आदेशित)

(जी.डी. गुप्ता)

उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, मध्यप्रदेश
पुराना सचिवालय, भोपाल

विषय :-मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973मध्यप्रदेश निर्व्यापारिक निगम अधिनियम 1962 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन संस्था/निगम/फर्म का पंजीयन।

उपरोक्त विषय के संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि विभिन्न राजनैतिक नेताओं के नाम से संस्थाओं के पंजीयन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इन पर रोक लगाने की दृष्टि से यह परामर्श दिया गया है कि जिस किसी भी नेता के नाम से समिति/निगम/फर्म के पंजीयन हेतु प्रस्ताव आवे तो उनका पंजीयन तब तक न किया जावे जब तक कि संबंधित राजनैतिक नेता की लिखित में इस आशय की अनुमति प्राप्त न हो जावे।

अतः उक्त तथ्य समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दृष्टि में लाया जाए, यदि ऐसा कोई प्रस्ताव पंजीयन हेतु आता है तो उनका तब तक पंजीयन न किया जावे जब तक कि संबंधित राजनैतिक नेता की अनुमति लिखित में प्राप्त न हो जावे।

हस्ताक्षर
(एस.सी. तिवारी)
रजिस्ट्रार

फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक डी-1248/147/2000/सी-3/38

भोपाल, दिनांक 27-03-2000

विषय :- इण्डिया इंस्टीट्यूट के संबंध में।

उपरोक्त विषयमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

प्रस्तावित है कि चूंकि नवीन अशासकीय संस्थाओं को अनुमति आपके स्तर से दी जाती है तथा संबद्धता संबंधित विश्वविद्यालय से। अतः सभी अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में "इण्डियन इंस्टीट्यूट" शब्द का प्रयोग न करने का ध्यान रखा जावे।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षाविभाग

कार्यालय, राज्य मानव अधिकार आयोग म.प्र. एवं छत्तीसगढ़
(कोर ग्रुप) गांधी चौक, रायपुर

क्रमांक/मा.आ./कोर/रायपुर 101/

दिनांक 6-1-2001

ज्ञापन

विषय : मानव अधिकार पारिषद के संबंध में।

महोदय,

राज्य मानव अधिकार आयोग केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश शासन द्वारा गठित एक स्वशासी आयोग है जिसके कार्य संबद्ध हेतु अध्यक्ष माननीय जस्टिस गुलाब गुप्ता द्वारा इस नये प्रदेश के लिए रायपुर में कोर ग्रुप का गठन किया गया है जहाँ छत्तीसगढ़ से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही की जाती है।

मानवाधिकारों के हनन अथवा प्रताड़ना के लिए आयोग द्वारा जनता को निशुल्क सेवा प्रदान की जाती है।

ज्ञात हुआ है कि रायपुर मानवाधिकार परिषद के नाम से एक संस्था कार्यरत है जो अपंजीकृत है व कुछ व्यक्तियों द्वारा संचालित है। कहा जाता है कि उक्त संस्था द्वारा नागरिकों से शासकीय अधिकारियों के नाम से कार्य कराने हेतु राशि वसूल की जाती है तथा

अधिकारियों विशेषकर पुलिस व राजस्व विभाग के लोगों को कार्य करने हेतु कहा जाता है। उक्त नाम से अधिकारियों को आयोग का भ्रम होना संभव है। अतः इस संबंध में अधिकारियों को जानकारी देना आवश्यक प्रतीत होता है।

उक्त परिषद द्वारा आयोग को पंजीयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने आवेदन दिया गया है। आयोग द्वारा समान नाम होने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना संभव नहीं है।

अतः इस प्रकार किये जा रहे कार्यों को रोकना उचित होगा।

सही

सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग
म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ (कोर ग्रुप) रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक/सचिव/स.क./2001/91

रायपुर, दिनांक 16-3-2001

विषय:- विभाग से संबंधित संस्थाओं के पंजीयन बाबत।

महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित नामों से संस्थाओं का पंजीयक विभाग द्वारा लाया जाना -

1. छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण परिषद
2. छत्तीसगढ़ बाल कल्याण परिषद अनुरोध है कि विभागीय अनुमति पश्चात ही उक्त विद्गाय में संबंधित पंजीयन करने का कष्ट करें।

हस्ता.

(व्ही.के. कपूर), सचिव

समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक/एफ.4-1/2003/11/वा.उ.

रायपुर, दिनांक 3-4-03

विषय:- महिला स्व-सहायता समूहों का पंजीयन शुल्क रुपये 250/ किये जाने बाबत।

संदर्भ :- आपका ज्ञापन क्रमांक 695/02 रायपुर दिनांक 7-9-2002

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि महिला स्व-सहायता समूहों का पंजीयन शुल्क 250/- (रुपये दो सौ पचास मात्र) लिया जावे।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी की जा रही है।

हस्ता.

(आर.के. श्रीवास्तव), उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

क्रमांक 23/(24)/2005-आई टी

नई दिल्ली, दिनांक 20-9-2005

विषय:- विभिन्न राज्यों में शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा 'भारतीय' शब्द का प्रयोग।

महोदय,

इस मंत्रालय को यह सूचना मिली है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा अपने नाम के पहले 'भारतीय' शब्द लगाया जा रहा है, जो संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम 1950 की धारा 3 के निबंधनों के अनुसार अनुमत नहीं है।

इस संदर्भ में निवेदन है कि संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम 1950 की अनुसूची की मद संख्या 7 के साथ पठित धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यापार, कारोबार अथवा व्यवसाय आदि के प्रयोजन हेतु केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ऐसे किसी भी नाम का प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करना जारी रखेगा जिससे भारत सरकार अथवा राज्य सरकार आदि का संरक्षण प्राप्त होने का बोध हो अथवा ऐसे बोध की संभावना हो। नाम के पहले 'भारतीय' शब्द का प्रयोग संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के उपबंधों का उल्लंघन है। (प्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न)। अतः आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि 'भारतीय' शब्द का ऐसा दुरुपयोग आधिकाधिक संरक्षण का आभास देता है और इसे तत्काल बंद कर दिया जाए। संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम 1950 में निहित उपबंधों का अनुपालन करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए जाएं।

(जी.एस. नेगी)

निर्देशक

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासनविभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 10-31/2003/1/5

रायपुर, दिनांक 9-3-2006

विषय:- महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम के नाम से भवनों, सड़कों, गाँवों तथा सामुदायिक भवनों इत्यादि का नामकरण नहीं करने बाबत।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22 जुलाई 2003

उपरोक्त विषय में संदर्भित परिपत्र (प्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करें। राज्य शासन के ध्यान में यह बात लायी गयी कि महामहिम राष्ट्रपति के नाम और उनके फोटोग्राफ्स का कतिपय संस्थाओं द्वारा विज्ञापनों में बतौर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है। इस संबंध में राद्गट्रपति भवन, नई दिल्ली ने कड़ी आपत्ति जताई है।

2. अतः निर्देशित किया जाता है कि महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे.अब्दुलके नाम और उनके फोटोग्राफ्स का किसी भी संस्थान द्वारा विज्ञापन आदि में व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाये। यदि उनके नाम और उनके फोटोग्राफ्स का उपयोग किया गया हो तो उन्हें तत्काल निरस्त/समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाये।

3. इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

(पंकज द्विवेदी), प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊकल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ1-5/2008/11/(6)

रायपुर, दिनांक 25-6-2008

छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) क्रमांक 44 सन् 1973 की धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त द्राक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारिणी के कालम नं. 2 में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी को उक्त सारिणी के कालम नं.4 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उसके कालम नं.3 में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा के द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :-

स.क्र.	अधिकारी का नाम/पद	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धाराएँ	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री डी.डी. महंत उप पंजीयक	(1) धारा 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39 (2) महिला स्व-सहायता समूह, महिला मंडल, नवयुवक मंडल श्रेणी के सभी संभागों की समितियों का अधिनियम की धारा 34 के अधीन पंजीयक निरस्तीकरण	छत्तीसगढ़ राज्य स्तर की संस्था
2.	श्री अजय चौबे सहायक पंजीयक	धारा 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39	बिलासपुर संभाग एवं सरगुजा संभाग
3.	श्री डी.एल. धुर्वे सहायक पंजीयक	धारा 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39	रायपुर संभाग
4.	श्री आर.आर.	धारा 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,	बस्तर संभाग

	राजभानू सहायक पंजीयक	18, 25(2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39	
--	-------------------------	---------------------------------------	--

इस अधिसूचना के कारण रजिस्ट्रार को अधिनियम, नियमों व शासन आदेशों के अधीन प्राप्त अधिकारों में कोई कमी व परिवर्तन नहीं होगा।

उक्त अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण रजिस्ट्रार द्वारा किया जावेगा व प्रशासनिक नियंत्रण भी रजिस्ट्रार का रहेगा।

(विनोद गुप्ता)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ छत्तीसगढ़

ओ-5, अनुपम नगर, रायपुर

क्रमांक/पंजीयन स्था.37/22881 से 4 तक/11

रायपुर, दिनांक 29-7-2011

विषय :- छ.ग. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) के अधीन समिति पंजीयन में सावधानियां।

उपरोक्त विषय में अवगत कराया जाता है कि यह बात प्रकाश में आया है कि विषयांकित अधिनियम के अंतर्गत ऐसे नामों अथवा उद्देश्यों से पंजीयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होता है जिन पर वक्फ एक्ट, 1954 प्रभावित होता है।

वक्फ एक्ट, 1954 की धारा 3 एच(1) के अंतर्गत मस्जिद, ईदगाह, ईनाम बाड़ा, खानकाह, मकबरा (दरगाह), कब्रस्तान और ऐसी सम्पत्ति जो मजहबी काम के लिए लगाई गई हो, मानी गई है।

अतः इस प्रकार के पंजीयन प्रस्ताव प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड से सहमति लेकर ही पंजीयन संबंधी कार्यवाही किए जाएँ। कृपया निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाएँ।

(संजीव बक्शी)
पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़